पेज संख्या 1/3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 23/2017

अपीलांट

1. लाधाराम उर्फ लच्छाराम पुत्र लुम्बाजी,
2. वगता पुत्र हिराजी,
3. गुणेशा पुत्र देवाजी, तमाम जातियान कलबी, साकिन मेडाजागिर, तहसील साचौर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. अम्बा बेवा बनगर
2. तीजो पुत्री वनगर, कौम स्वामी, निवासी मेडा जागिर, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
3. उगम बेवा केसरगर
4. चुन्नी पुत्री केसरगर
5. रेशमी पुत्री केसरगर
6. शांति बेवा धुडगर
7. मुंगी पुत्री धुडगर
8. बदामी पुत्री धुडगर
9. जडाव पुत्री धुडगर
10. गीता पुत्री राणगर
11. गवरी पुत्री राणगर, जातियान स्वामी, निवासीगण मेडाजागीर, तहसील सांचौर, जिला जालौर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 15-02-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर साचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/1999 बउनवान अम्बा वगैरा बनाम रमकू वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रहने से रेस्पोडेन्टगणों के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिस पर प्रकरण संख्या 09/1999 दर्ज होकर प्रतिवादी अपीलांट 1 से 3 तथा रेस्पो0 संख्या 3 से 11 के विरूद्ध पेश किया था तथा वाद में पक्षकार रमकू पुत्री वनगर को बाद में तर्क कर दिया गया तथा वाद में पक्षकार रमकू पुत्री धुडगर फौत होने पर उसका नाम भी हटाया गया, अपीलांट के वकील दिनांक 18.10.2000 को गैर हाजिर रहने से अपीलांट का जबाव बन्द कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को कभी भी नहीं रहीं न हीं अपीलांट के वकील द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना आदि दी, पत्रावली में साक्ष्य वादी का एक तरफा लिये जाने पर निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की गई है। साथ ही यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.05.2001 को प्रतिवादी रमकू को तलबी हुऐ बगैर रमकू का नाम हटाया गया जबकि वादीगण ने प्रतिवादी रमकू को भी वनगर का वारीस मानकर खातेदारी का दावा पेश किया था। खातेदारीके वाद में तमाम वारीसानो को सूना जाकर निर्णय पारित किया जाना होता है परन्तु उक्त प्रकरण में रमकू जो की वनगर की वारीस होना स्वयं वादीगण ने वाद पत्र लिखा है इस कारण खातेदारी के दावे में वादीगण को अगर खातेदारी दी गई है तो रमकू को भी खातेदारी प्रदान किया जाना चाहिए था जबकि अधिनस्थ न्यायालय ऐसा नहीं कर रमकू के पक्ष या विपक्ष में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। तथा उक्त प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य दी गई है परन्तु प्रतिवादीगण को साक्ष्य जिरह का अवसर भी प्रदान नही किया गया है एकतरफा साक्ष्य ली गई है तथा दिनाक 21.06.2001 को वादीगण की साक्ष्य कलमबद्ध किये है तथा 21.06.2001 की आदेशिका में यह लिखा गया है कि वादीया बिघोडी की रसीदें दस्तावेज सबूत आयन्दा पेश करना चाहती है एवं पत्रावली दिनांक 06.07.2001 को रखी गई, दिनांक 06.07.2001 को वादीया द्वारा दस्तावेज सबूत व रसीदे पेश नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि वादीया ने अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, सबूत व रसीद पेश न हीं की गई है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

साथ मे यह भी निवेदन किया कि खातेदारी के वाद में सभी खातेदारों व वारीसानों को सूनना अनिवार्य होता है फिर भी वनगर की पुत्री रमकु प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 9 जो की फौत हो गई के वारीसानों को रेकॉर्ड पर लिये बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरूद्ध है।

समस्त रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पश्चात् सुनवाई की जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतित होता है।

रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, वाद अन्तर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

88, 40,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा मेड़ा जागीर, तहसील साचौर व जिला जालोर के खसरा नंबर 424, 425, 426, 445, 306, जिसके नये खसरा संख्या 1260, 1261, 1047, 1287, 1288, 1291 कुल रकबा 14.54 हैक्टेयर में बंटवाडा कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में बिना समस्त पक्षों को सुने ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। जो विधि विरूद्व है। खातेदारी हक की घोषणा हेतु मातहत न्यायायल को समस्त पक्षों को समचुत सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना था, जो नही किया जाकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त हस्तगत प्रकरण में विधि विरूद्व रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर, साचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/1999 बउनवान अम्बा वगैरा बनाम रमकू वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2002 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली